

एसोसिएटेड टैनर्स विजियानग्राम, ए. पी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विजियानग्राम, आंध्र प्रदेश और अन्य

18 मार्च, 1986

[आर. एस. पाठक और सब्यसाची मुखर्जी, न्यायाधिपतिगण]

आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 तीसरी अनुसूची का आइटम 9(बी) क्या असंवैधानिक और शून्य है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 304(ए) का उल्लंघन करता है - क्या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम लगाया जा सकता है या प्रतिबंधित खाल की अंतरराज्यीय बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत लगाया जा सकता है, जिस पर पहले से ही गैर-प्रदूषित स्तर पर कर लग चुका है।

आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 की तीसरी अनुसूची के आइटम 9 (बी) के तहत, जब राज्य में एक निर्माता द्वारा खरीदा जाता है, तो टैन्ड खाल और खाल, (जो बिना टैन वाली खाल और खाल के रूप में कर के अधीन नहीं थे) निर्माता द्वारा खरीद और अन्य सभी मामलों में अंतिम डीलर द्वारा खरीद के आधार पर, जो उन्हें राज्य में खरीदता है, रुपये में 2 पैसे की दर से गणना किए गए कुल बिक्री पर बिक्री कर देय था। अंतरराज्यीय बिक्री के संबंध में केंद्रीय बिक्री कर के

तहत बिक्री कर भी केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत लगाया जा सकता था।

अपीलकर्ता ए.पी. राज्य में कच्ची खालें और खालें खरीदता है, टैन वही होते हैं और ज्यादातर अंतर-राज्यीय व्यापार के दौरान ऐसी टैन वाली खालें बेचते थे। पहले प्रतिवादी ने अपने आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1969 द्वारा अपीलकर्ताओं के अंतर-राज्य बिक्री कारोबार का आकलन रुपये 16,23,194.29 में किया था और केंद्रीय अधिनियम के तहत रुपये 48,695.82 का कर लगाया था। कच्ची खाल की स्थानीय खरीद का कारोबार रु. 7,92,585 आंका गया। और टैक्स रु. 23,777.66 रुपये का शुल्क भी लगाया गया। इसलिए, अपीलकर्ता ने यह घोषणा करने के लिए एपी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या 3464/71 दायर की (1) कि टैन्ड खाल की अंतर-राज्य बिक्री पर केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत कोई कर नहीं लगाया जा सकता है या लगाये जाने योग्य है जो पहले से ही अनटेन्ड स्टेज पर टैक्स का सामना करना पड़ा। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी है, अपीलकर्ता विशेष अनुमति के माध्यम से अपील में आया है।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया

:-

1.1 जब कोई कर क़ानून निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर कर की दरों से भिन्न आयातित वस्तुओं पर कर की दरें नहीं लगा रहा था, तो अनुच्छेद 304 का कोई अनुप्रयोग नहीं था। जब तक दर समान थी, अनुच्छेद 306 संतुष्ट था। जब दर लागू की जाती है तो परिणामी कर कुछ हद तक अधिक हो सकता है लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 304 द्वारा अपेक्षित समानता खंड का उल्लंघन नहीं करता है। वर्तमान मामले में, समान दर पर कर लगाने से अनुच्छेद 304(ए) नाराज नहीं होता है।
[975 जी-बी]

रतन लाल एंड कंपनी और अन्य बनाम मूल्यांकन प्राधिकारी एवं अन्य, [1969] 2 एस.सी.आर. 544 - चर्चा की गई एवं लागू किया गया।

1.2 राज्य अधिनियम द्वारा लगाया गया शुल्क केंद्रीय अधिनियम की योजना के अनुरूप है। केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार, किसी भी डीलर द्वारा उसके कुल बिक्री पर देय कर, जहां तक उसके किसी भी हिस्से का उप-धारा (1) के अंतर्गत नहीं आने वाले कुल बिक्री अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री से संबंधित है, धारा 8 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दर पर होंगे। ये सामान धारा 8 की उप-धारा (1) में नहीं आते हैं। [976 सी-डी]

कर लगाने का प्रभाव अलग-अलग डीलरों पर अलग-अलग तरह से काम कर सकता है, अर्थात् वे जो आयातित टैन्ड वस्तुओं का उपयोग करते

हैं और जो इन्हें स्थानीय स्तर पर खरीदते हैं और इन्हें स्थानीय स्तर पर टैन करते हैं और फिर अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान बेचते हैं। लेकिन उस प्रभाव को सीधे तौर पर या कर लगाने के तत्काल प्रभाव के रूप में उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता. [977 ई-ई]

1.3 इस मामले में, अधिरोपण, केंद्रीय अधिनियम के कार्यान्वयन में था। संविधान के अनुच्छेद 304 के तहत संसद पर कोई कर लगाने पर कोई रोक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 304 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध एक राज्य के विधानमंडल पर था। [977 ई-एफ]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1345 (एनटी) / 1974

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, रिट याचिका संख्या 3464/1971 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14 दिसंबर, 1972 से।

डी.पी. मुखर्जी और जी.एस. चटर्जी, अपीलकर्ता की ओर से

के. राम कुमार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए।

अनिल देव सिंह, मा हलीदा खातून एवं सी.वी. सुब्बा राव प्रतिवादी संख्या 3 के लिए ।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति सब्यसाची मुखर्जी, द्वारा पारित किया गया :-

विशेष अनुमति द्वारा यह अपील रिट याचिका संख्या 3464/1971 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले और आदेश दिनांक 14 दिसंबर, 1972 से उत्पन्न हुई है।

खंडपीठ ने अपीलकर्ता द्वारा दायर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। अपीलकर्ता एक चर्मकार था, जिसकी विजयनगरम में चमड़े की फैक्ट्री थी और उस समय वह आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के साथ-साथ केंद्रीय बिक्री कर, 1956 के तहत एक डीलर था, जिसे इसके बाद क्रमशः 'राज्य अधिनियम' और 'केंद्रीय अधिनियम' कहा जाता है। अपीलकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य में कच्ची खाल और खाल खरीदता है और उसे टैन करता है। अपीलकर्ता अधिकतर अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान ऐसी काली खालें बेचता था।

पहला प्रतिवादी यानि कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, विजयनगरम ने अपने आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1969 द्वारा अपीलकर्ता के अंतर-राज्य बिक्री कारोबार का मूल्यांकन 16,23,194.29 रुपये किया था और केंद्रीय अधिनियम के तहत 48,695.82 रुपये का कर लगाया था। कच्ची खाल की स्थानीय खरीद का कारोबार 7,92,585 रुपये आंका गया और 23,777.66 रुपये का कर भी लगाया गया।

अपीलकर्ता ने केंद्रीय बिक्री कर संशोधन अधिनियम, 1969 की वैधता को चुनौती देते हुए पहले रिट याचिका संख्या 3436 / 1969 दायर

की थी। हालाँकि, वह याचिका जनवरी, 1971 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर वापस ले ली गई थी। इसके बाद अपीलकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें राज्य अधिनियम की अनुसूची III के आइटम 9 (बी) को असंवैधानिक और शून्य घोषित करने और आगे यह घोषणा करने के लिए अपील की गई है कि केंद्रीय बिक्री अधिनियम के तहत टैन्ड हुड की अंतरराज्यीय बिक्री पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है या लगाया जा सकता है, जिस पर पहले से ही टैन्ड स्तर पर कर लग चुका था। आगे की घोषणा में उत्तरदाताओं, जो बिक्री कर अधिकारी हैं, को 30 जनवरी, 1969 के आदेश को लागू करने से प्रतिबंधित करने और उत्तरदाताओं को पहले से एकत्र की गई राशि वापस करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

विवाद की सराहना करने के लिए राज्य अधिनियम की अनुसूची III के आइटम 9 (बी) को संदर्भित करना आवश्यक है क्योंकि यह प्रासंगिक समय पर था जो इस प्रकार है:

"तीसरी अनुसूची

(घोषित माल जिसके संबंध में धारा 6 के तहत केवल एकल बिंदु कर लगाया जाता है)।

माल का विवरण (1)	लेवी का बिंदु (2)	कर की दर (3)
xxx	xxx	xxx

<p>9. (बी) रंगी हुई खाल और खाल (जिन पर बिना रंग वाली खाल और खाल के रूप में कर नहीं लगता था)</p>	<p>जब राज्य में किसी निर्माता द्वारा खरीदा जाता है तो निर्माता द्वारा खरीद के बिंदु पर और अन्य सभी मामलों में खरीद के बिंदु पर अंतिम डीलर द्वारा खरीदा जाता है जो उन्हें राज्य में खरीदता है।</p>	<p>रुपये में 2 पैसे"</p>
---	---	--------------------------

डीलर/अपीलकर्ता की ओर से आग्रह किया गया कि राज्य अधिनियम की अनुसूची III के आइटम 9 (बी) में राज्य के बाहर से आयातित खाल और खाल और राज्य में निर्मित या उत्पादित खाल के बीच भेदभाव किया गया है। तर्क यह था कि आइटम 9 (बी) राज्य के बाहर से लाई गई और राज्य के अंदर टैन की गई खालों और खालों की बिक्री पर कर लगाने का प्रावधान करता है, जबकि यदि कच्ची खालें और खालें स्थानीय स्तर पर खरीदी और टैन की जाती हैं, टैंड चमड़े और खाल पर कोई कर नहीं लगाया जाता था क्योंकि ऐसे मामलों में केवल बिना दाग वाली खाल और खाल पर ही कर लगाया जाता था। यह आग्रह किया गया था कि कराधान योजना का परिणाम यह था कि एक व्यापारी जो राज्य के बाहर से कच्ची खालें लाता था और इन्हें स्थानीय स्तर पर टैन करता था, उस पर ऐसी

टैन्ड खालों की बिक्री की राशि पर कर लगाया जाता था। खाल, जबकि स्थानीय स्तर पर खरीदी गई कच्ची खाल और खाल और टैन पर कच्ची खाल और खाल की खरीद की राशि पर कर लगाया जाता था और टैन पर कच्ची खाल और खाल की खरीद की मात्रा पर कर लगाया जाता था, जिसकी कीमत की तुलना में की जाती थी। काली पड़ चुकी खालों और खालों की मात्रा बहुत ही नगण्य होगी। यह प्रस्तुत किया गया कि इस तरह की कराधान योजना, राज्य के अंदर लाने के लिए कच्ची खाल और खाल के आयात में भेदभाव करती है। यह प्रस्तुत किया गया कि इससे संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) को ठेस पहुंची है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर निर्मित या उत्पादित वस्तुओं को अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं की तुलना में अधिक अनुकूल व्यवहार मिलता है।

फर्म ए.टी.बी. मेहताप माजिद एंड कंपनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास एंड अन्य [1963] 2 पूरक एस.सी.आर. 435 14 एस.टी.सी. 355; ए हाजी अब्दुल शकूर एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य, [1964] 8 एस.सी.आर. 217; मद्रास राज्य बनाम एन.के. नटराज मुदलियार, [1968] 3 एस.सी.आर. 829 और रतन लाल एंड कंपनी एवं अन्य बनाम मूल्यांकन प्राधिकारी एवं अन्य, [1969] 2 एस.सी.आर. 544; मैं इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय का विचार था कि प्रत्येक कर संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत गारंटीकृत व्यापार की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। हस्तक्षेप केवल तभी होता था जब कानून सीधे

और तुरंत व्यापार, वाणिज्य या संभोग के मुक्त प्रवाह को प्रतिबंधित या बाधित करता था। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भेदभाव प्रत्यक्ष होना चाहिए और कर प्रावधानों से उत्पन्न होना चाहिए। किसी भी अप्रत्यक्ष प्रभाव से उत्पन्न कोई भी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) के दायरे में नहीं था। इस बात पर जोर दिया गया कि कराधान के संबंध में एक राज्य कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह विभिन्न राज्यों में असमान रूप से संचालित होता है, कानून बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी काम से नहीं बल्कि संबंधित राज्यों में प्राप्त स्थितियों की असमानता के कारण। इस प्रकार, यदि कर की दर लगाने का एक सामान्य नियम आयातित और साथ ही स्थानीय वस्तुओं पर समान रूप से लागू किया गया था, लेकिन जो असमान रूप से और अलग-अलग तरीके से संचालित हो सकते थे।

उच्च न्यायालय का विचार था कि यदि कर की दर समान होती, तो अनुच्छेद 304 संतुष्ट होता। उच्च न्यायालय का विचार था कि हमें कर की दर पर ध्यान देना चाहिए न कि किसी विशेष राज्य में व्यवहार में कर के संचालन पर।

मौजूदा मामले में, कर की दर बाहर से लाए गए सामान और स्थानीय सामान दोनों के लिए समान थी और यह नहीं कहा जा सकता है कि कराधान ने सीधे और तुरंत व्यापार, वाणिज्य या अंतर-प्रवाह के मुक्त

प्रवाह को प्रतिबंधित या बाधित किया था और इससे अनुच्छेद 304(ए) आहत हुआ। ऐसे कर के संचालन का प्रभाव या परिणाम भेदभाव का कारण नहीं बन सकता। यह बताया गया कि इस न्यायालय के पिछले दो निर्णयों ने इस न्यायालय के पहले के दो निर्णयों को विस्थापित कर दिया और उक्त राज्य अधिनियम की अनुसूची III के आइटम 9 (बी) ने संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) का उल्लंघन नहीं किया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर, डीलर/अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में शामिल बिंदु अब पुनः एकीकृत नहीं है। केंद्रीय अधिनियम के प्रभाव, और अधिनियम की धारा 8 के तहत विभिन्न राज्यों में कर की विभिन्न दरों पर मद्रास राज्य बनाम एन.के. नटराज मुदलियार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया था। जहां प्रतिवादी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, मद्रास के समक्ष दावा किया था कि उसका कुछ सामान मद्रास से आंध्र प्रदेश में उसके डिपो में भेजा गया था और उन सामानों की बिक्री आंध्र प्रदेश में अंतर-राज्य बिक्री थी। जहां उन पर इस प्रकार कर लगाया गया था। हालाँकि, वाणिज्यिक कर अधिकारी ने माना कि माल बिक्री के अनुबंध के तहत मद्रास राज्य से ले जाया गया था और इसलिए केंद्रीय अधिनियम के तहत अंतर-राज्य बिक्री के रूप में कर योग्य था। इसके बाद प्रतिवादी ने

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (2), (2 ए) और (5) प्रासंगिक समय पर अलग-अलग राज्यों में समान अंतर पर कर की अलग-अलग दरें लगाने या लगाने को अधिकृत करती हैं और राज्य लेनदेन और कर के बोझ में परिणामी असमानता ने अंतर-राज्य व्यापार, वाणिज्य और संभोग को प्रभावित और बाधित किया और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 301 और 303(1) को ठेस पहुंचाई। अधिनियम की धारा 9(3) के अनुप्रयोग पर भी विचार किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील की गई थी। इस न्यायालय ने नोट किया कि उच्च न्यायालय के द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, इस न्यायालय के दो निष्पत्तियों के अनुच्छेद 304(ए) की व्याख्या से प्रभावित था; अर्थात् फर्म ए.टी.बी. मेहताब माजिद एंड कंपनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास एंड अदर (उपरोक्त) और ए. हाजी अब्दुल शकूर एंड कंपनी बनाम स्टेट ऑफ मद्रास- (उपरोक्त)। इस न्यायालय का विचार था कि उपरोक्त दो उल्लिखित मामलों में, विभेदक उपचार को संविधान के अनुच्छेद 304 (ए) का उल्लंघन माना गया है, जो किसी राज्य के विधानमंडल को अनुच्छेद 301 और 303 में कुछ भी होने के बावजूद कानून द्वारा लागू करने के लिए अधिकृत करता है। अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से आयातित वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान वस्तुएं होती हैं, इसलिए, हालांकि, इस

प्रकार आयातित वस्तुओं और इस प्रकार निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है। इस न्यायालय का विचार था कि राज्य में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं और राज्य में आयातित समान वस्तुओं पर एक ही राज्य द्वारा कर की अलग-अलग दरें लगाना उस खंड द्वारा निषिद्ध था। लेकिन जहां कर लगाने वाला राज्य निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर कर की दरों से भिन्न आयातित वस्तुओं पर कर की दरें नहीं लगा रहा था, वहां अनुच्छेद 304 (ए) का कोई उपयोग नहीं है। अनुच्छेद 303 ऐसे कानून बनाने पर रोक लगाता है जो एक राज्य को दूसरे राज्य पर कोई प्राथमिकता देता है, या देने को अधिकृत करता है, या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच भेदभाव करता है, या बनाने को अधिकृत करता है। राज्य में बिक्री कर की विभिन्न दरों का प्रचलन, जिसे केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम द्वारा उस अधिनियम के तहत कर लगाने के उद्देश्य से अपनाया गया है, वरीयता देने या भेदभाव करने का निर्धारक नहीं था। उच्च न्यायालयका दृष्टिकोण इसलिए बरकरार नहीं रखा गया। बच्चावत, न्यायाधिपति का विचार था कि सैद्धांतिक रूप से अंतर-राज्य पर कर और अंतर-राज्य बिक्री पर कर के बीच कोई अंतर नहीं था। विद्वान न्यायाधीश का विचार यह था कि केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्रावधान अंतर-आधिकारिक थे।

रतन लाल एंड कंपनी एवं एक अन्य बनाम मूल्यांकन प्राधिकारी एवं अन्य (उपरोक्त), इस न्यायालय के पांच विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ

ने पंजाब जनरल सेल्स टैक्स अधिनियम से निपटते हुए पाया कि जब एक कर लगाने वाला राज्य निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर कर की दरों से अलग आयातित वस्तुओं पर कर की दरें नहीं लगा रहा था, तो अनुच्छेद 304 की कोई प्रयोज्यता नहीं थी। जब तक दर समान थी, अनुच्छेद 304 संतुष्ट था। वर्तमान अपील में, हमारे सामने कर उसी दर पर था। जब दर लागू की जाती है तो परिणामी कर कुछ हद तक अधिक हो सकता है, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 304 में विचारित समानता खंड का उल्लंघन नहीं करता है।

मामले को ध्यान में रखते हुए और चूंकि इन मामलों को विशेष रूप से निपटाया गया है, हमारे लिए फर्म एटीबी मेहताब माजिद एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य और अन्य (उपरोक्त) और ए हाजी अब्दुल शकूर एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य के मामलों में निर्णय पर विस्तार से चर्चा करना अब आवश्यक नहीं है, जिस पर हमारे समक्ष अपीलकर्ता पर भरोसा रखा गया था। केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ अनुच्छेद 304 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, हम रतन लाल एंड कंपनी और अन्य बनाम मूल्यांकन प्राधिकारी और एआर. (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सम्मानजनक सहमत हैं। ।

हमें यह भी प्रतीत होता है कि इसका एक और पहलू भी है। राज्य अधिनियम द्वारा लीवी केंद्रीय अधिनियम की योजना के अनुरूप है।

केंद्रीय अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसार, किसी भी डीलर द्वारा उसके कुल बिक्री पर देय कर, जहां तक कुल बिक्री या उसका कोई हिस्सा अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री से संबंधित है। उप-धारा (1) के अंतर्गत नहीं आने पर, धारा 8 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दर पर होगी। यह सामान्य आधार है कि ये सामान धारा 8 की उपधारा (1) में नहीं आते हैं।

धारा 8(2), जहाँ तक यह प्रासंगिक समय पर महत्वपूर्ण थी, इस प्रकार थी:

(2) किसी भी डीलर द्वारा उसके कुल बिक्री पर देय कर, जहां तक कुल बिक्री या उसका कोई हिस्सा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल की बिक्री से संबंधित है, जो उप-धारा (1) के अंतर्गत नहीं आता है -

(ए) घोषित माल के मामले में, उचित राज्य के अंदर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर गणना की जाएगी; और

(बी) घोषित माल के अलावा अन्य माल के मामले में, सात प्रतिशत की दर से या उपयुक्त राज्य के अंदर ऐसे माल की बिक्री या खरीद पर लागू दर पर, जो भी अधिक हो, गणना की जाएगी; और ऐसी कोई भी गणना करने के प्रयोजन के

लिए ऐसे किसी भी डीलर को उपयुक्त राज्य के बिक्री कर कानून के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी डीलर माना जाएगा, भले ही वह वास्तव में उस कानून के तहत इतना उत्तरदायी न हो।"

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 14 इस बात से संबंधित है कि किन वस्तुओं को अंतरराज्यीय बिक्री के दौरान विशेष महत्व की वस्तु माना जाता है। यह भी सामान्य मामला है कि धारा 14 के खंड (iii) के अनुसार खाल और खाल, चाहे कच्ची या सजी हुई अवस्था में हों, अंतर-राज्य व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व की वस्तुएं हैं। केंद्रीय अधिनियम की धारा 15 राज्य पर लगाए जाने वाले कर की राशि के संबंध में कुछ प्रतिबंध लगाती है। यह हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह सामान्य मामला है कि प्रतिबंध लगाने से स्वयं प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है।

कर लगाने का प्रभाव अलग-अलग डीलरों पर अलग-अलग तरह से काम कर सकता है, अर्थात् वे जो आयातित टैन्ड वस्तुओं का उपयोग करते हैं और जो इन्हें स्थानीय स्तर पर खरीदते हैं और इन्हें स्थानीय स्तर पर टैन करते हैं और फिर अंतर-राज्यीय बिक्री के दौरान बेचते हैं। लेकिन उस प्रभाव को सीधे तौर पर या कर लगाने के तत्काल प्रभाव के रूप में

उत्पन्न नहीं कहा जा सकता है। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 304(ए) के उल्लंघन का सवाल ही नहीं उठता।

मामले का एक और पहलू भी है। इस मामले में लगाया गया आरोप केंद्रीय अधिनियम के कार्यान्वयन में था और प्रतिवादी की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 304 के तहत संसद पर कोई भी कर लगाने पर कोई रोक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 304 द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था वह राज्य के विधानमंडल पर था।

संविधान के अनुच्छेद 304 का उप-अनुच्छेद (ए) इस प्रकार है:-

"304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध - अनुच्छेद 301 या अनुच्छेद 303 में किसी बात के बावजूद, किसी राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा -

(ए) अन्य राज्यों से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाएगा या केंद्र शासित प्रदेश कोई भी कर जिसके अधीन उस राज्य में निर्मित या उत्पादित समान सामान हैं, हालांकि, इस प्रकार आयातित वस्तुओं और इस प्रकार निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है।"

इसलिए संसद पर रोक नहीं थी। लेकिन हमने मामले के पहले पहलू पर विचार किया है और मद्रास राज्य बनाम एन.के. नटराज मुदलियार (उपरोक्त) और रतन लाल एंड कंपनी एवं एक अन्य बनाम अन्य

मूल्यांकन प्राधिकारी एवं एक अन्य (उपरोक्त), के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए इस पहलू पर आगे चर्चा करना आवश्यक नहीं है।

इसलिए उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में सही था। इसलिए अपील विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

एस.आर

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।